हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परिक्षाएं उत्तीर्ण करने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले वित्तीय प्रोत्साहन तथा वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार से संबंधित आदेश उन सभी कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जो हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित हिंदी टंकण एवं आशुलिपि की परीक्षाएं इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर्स, कम्प्यूटर/वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग करके उत्तीर्ण करते हैं।

(का.ज्ञा.सं.-18/3/94–हि.शि.यो. (मु.) दिनांक 16 फरवरी 1995)

टिप्पणी : एकमुश्त पुरस्कार प्रचालन कर्मचारियों के अतिरिक्त केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा जो ऐसे स्थानों पर तैनात हैं जहां हिंदी शिक्षण योजना के प्रशिक्षण केन्द्र नहीं हैं अथवा जहां संबंधित पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है।

(का०ज्ञा०सं०-12011/5/83-रा.भा. (घ) दिनांक 29-10-84)

8.8 हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी में प्रशिक्षण लेने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का मातृभाषा के आधार पर वर्गीकरण

हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण देने के लिए भाषा के आधार पर नीचे लिखे चार वर्गों में रखा गया है :

(क) वर्ग "क" – वे अधिकारी जिनकी मातृभाषा हिंदी है और जो हिंदी अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है।

(ख) वर्ग "ख" – वे अधिकारी जिनकी मातृभाषा पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, पश्तो या अन्य सम्बद्ध भाषाओं में से कोई एक है उन्हें सीधे ही प्राज्ञ में दाखिला दिया जाता है। इनके लिए प्रबोध एवं प्रवीण के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है।

(ग) वर्ग "ग" – वे अधिकारी जिनकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, बंगला, सिंधी, उड़िया, असमिया, नेपाली या अन्य सम्बद्ध भाषाओं में से कोई एक है तो उन्हें सीधे ही प्रवीण में दाखिला दिया जाता है। इनके लिए प्रबोध के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है।

(घ) वर्ग "घ" – वे अधिकारी जो दक्षिण भारतीय भाषा, अंग्रेजी, मिजो या मणिपुरी भाषा-भाषी हैं उन्हें प्रबोध में दाखिला दिया जाता है।

(का.ज्ञा.सं.-14034/3/87-रा.भा. (घ) दिनांक 7-9-87)

(का.ज्ञा.सं.-12012/1/89-रा.भा. (घ) दिनांक 23-2-89)